14.7.25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] अधिवक्तागण [illegible]
इजरा पक्षकारान हाजिर [illegible] 25.7.25 को पेश हो
पत्रावली वास्ते हाजिरी दि

25.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। प्रार्थना
पत्र प्रार्थी U/S 251 क स्वीकार किया जाता
है, विपक्षी [illegible] [illegible] के लिखाया जाय
[illegible]. किया जाता। पत्रावली [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 6/2021

तारीख दायरा 30.06.2021

उनवान

रामकुंवार पुत्र गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम तेहरोली तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रार्थी

बनाम

1. भूलीबाई पुत्री गोपाल पत्नि मदनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम तेहरोली।
2. रामदयाल पुत्र गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम तेहरोली तहसील सांगोद।
3. राममूर्ति पुत्री गोपाल पत्नि छोटूलाल जाति मेघवाल निवासी तेहरोली।
4. सूर्तीबाई पुत्री गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम तेहरोली तहसील सांगोद।
5. रामकरण पुत्र कजोड जाति चमार निवासी ग्राम तेहरोली तहसील सांगोद।
6. मथुरालाल पुत्र कजोड जाति चमार निवासी ग्राम तेहरोली तहसील सांगोद।
7. कंचन पुत्री कजोड पत्नि तेजपाल जाति चमार निवासी ग्राम तेहरोली तहसील सांगोद हाल लोढाहेडा तहसील कनवास।
8. कंवरी पुत्री कजोड पत्नि मथुरालाल जाति चमार निवासी ग्राम तेहरोली हाल गोविन्द नगर म.न. 9/215 रेलवे पटरी के पास कोटा।
9. सोसरबाई पुत्री कजोड पत्नि गोरधन मृतक जरिये कायम मुकाम –
   9/1 धापूबाई पुत्री गारेधनलाल पत्नि चेतनप्रकाश जाति चमार निवासी ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद।
10. पुष्पा बाई पुत्री कजोड पत्नि नन्दकिशोर जाति चमार निवासी कोटडी तहसील सांगोद।
11. कालूलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति चमार निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद।
12. छोटीबाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नि रामदयाल जाति चमार निवासी ग्राम थामखेडा तहसील अंता जिला बारां।
13. रामबिलास पुत्र नन्दकिशोर जाति चमार निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

14. संतोष बाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नि भगवानदास जाति चमार निवासी सरकारी हास्पीटल के पीछे हनुमान मंदिर के पास अंता जिला बारां।

15. सीताबाई पत्नि नन्दकिशोर जाति चमार निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद।

16. बाबूलाल पुत्र नेनकीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम तेहरोली तहसील सांगोद।

17. राज्य सरकार लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब सांगोद जिला कोटा।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :— दिनांक :— 25/7/25

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील प्रार्थीगण)

श्री अमित पांचाल (वकील अप्रार्थीगण)

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील अप्रार्थी सं. 5 ता 8)

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि —

❖ प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के संयुक्त खाते की आराजी माल ग्राम तेहरोली पटवार हल्का मण्डाप तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं. नई 50 के खसरा न0 10 की 0.37 हेक्टर, खसरा न0 170 की 2.28 हेक्टर, खसरा न0 344 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 345 की 2.86 हेक्टर, खसरा न0 6 की 0.03 हेक्टर, खसरा न0 9 की 0.21 हेक्टर, कुल किता 6 की 5.76 हेक्टर आराजीयात स्थित है, जिसमें प्रार्थी को पारिवारिक विभाजन में अन्य आराजीयात के साथ खसरा न0 170 की 2.28 हेक्टर आराजी का खसरा भी प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ही उक्त खसरे को पारिवारिक विभाजन में प्राप्ती से ही काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के विभाजन में प्राप्त आराजी के पास ही अप्रार्थी सं. 5 ता 15 के संयुक्त खाते की आराजी खसरा न0 167, 171, 213, 342, 343, 66, 67, 68, 7,8 कुल 10 किता की कुल 7.22 हेक्टर आराजी स्थित है। उक्त आराजी में से खसरा न0 167 की 0.89

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

हेक्टर, खसरा न0 171 की 2.51 हेक्टर आराजी पारिवारिक विभाजन में अप्रार्थी सं. 5 रामकरण को प्राप्त हुई है तथा रामकरण ही उक्त आराजी को काश्त करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थी सं. 16 बाबूलाल के एकल खाते की आराजी माल ग्राम तेहरोली पटवार हल्का मण्डाप के खाता न0 नई 30 के खसरा न0 168 की 0.42 हेक्टर आराजी अन्य आराजीयात के साथ स्थित है।

❖ प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 तथा 5 ता 15 के पूर्वज एक ही रहे हैं, जिनके मध्य बंटवारे के बाद से ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के पूर्वजों को खसरा न0 170 प्राप्त हुआ तथा अप्रार्थी सं. 5 ता 15 के पूर्वजों को खसरा न0 167, 171 प्राप्त हुआ था। तब से ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के पूर्वज खसरा न0 168 व 167 की मेड के मध्य होकर तथा उत्तर में घूमकर अपने खसरा न0 170 में आते जाते रहे हैं तथा अपने कृषि के साधनों को ले जाते रहे हैं। वर्तमान में खसरा न0 171 व 167 को अप्रार्थी काश्त कर रहा है, जिसने नक्शे में अंकित बी स्थान पर वर्ष 2020 में चबूतरे का निर्माण कराने लगा तो ग्राम पंचायत मंडाप को रिर्पोट देने पर ग्राम पंचायत मंडाप ने अपने आदेश में तहसील से अनुमति लेकर ही निर्माण कराने के लिए आदेश दिया, जिसकी भी अप्रार्थी द्वारा कोई पालना नहीं की गई और जबरन कब्जा कर अवैधानिक रूप से रास्ते की भूमि दबाते हुए रास्ते में चबूतरे का निर्माण कर लिया, जिसकी रिर्पोट प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत मंडाप व माननीय तहसीलदार साहब को दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने में समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थी ने इतना होने के बावजूद भी प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 5 व 16 से निवेदन किया कि आप लोग मुझे रास्ता दे दो, जिसके बदले यदि आप लोग आराजी लेना चाहते हो तो आराजी ले लो, और यदि राशि लेना चाहते हो तो नियमानुसार जो भी राशि बनती है, वह ले लो लेकिन अप्रार्थी सं. 5 किसी भी शर्त पर तैयार नहीं हो रहा है और कोरोना काल में शेष मेड पर भी पौधे लगा दिये है। जिससे अब प्रार्थी अपनी आराजी पर नहीं जा पा रहा है।

❖ प्रार्थी के खेत पर आने जाने का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी की आराजी पडत रहने की भी पूर्ण संभावना है। साथ ही मौके पर विवाद होने की भी संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थी न0 5 व 16 से रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है।

❖ अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अप्रार्थी न0 5 व 16 से खसरा न0 168 व 167 की मेड के मध्य होकर तथा

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर में घूमकर अपने खसरा न0 171 की मेड पर होकर अपने हिस्से व कब्जे काश्त की उक्त माल ग्राम तेहरोली पटवार हल्का मंडाप तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 171 तक आने–जाने व अपने कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर–ट्रोली लाने ले जाने हेतु 15 फुट चौडा व 200 फुट लम्बा रास्ता दिलाया जावे, जिसके लिए अप्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि के बदले उतनी ही भूमि या नगद राशि लेने को तैयार हो तो राजस्व के मूल्यांकन के अनुसार बनने वाली राशि दोनों में से जो भी लेने के लिए अप्रार्थी सं. 5 व 16 तैयार हो, प्रार्थी देने के लिए तैयार है तथा 15 फुट चौडे व 200 फुट रास्ते को राजस्व रेकार्ड, नक्शाट्रेस में अंकन किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें।

❖ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। समस्त अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 10, 16 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 13 की ओर से अधिवक्ता श्री बहादुर सिंह द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, परन्तु कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी सं. 13 बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4, 9/1, 11, 12, 14, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित पांचाल द्वारा वकालतनाम मय इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

❖ अप्रार्थी सं. 5 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शर्मा द्वारा वकालनता मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 करीब 50 वर्षो से अपने संयुक्त खाते व कब्जे की आराजी खाता सं. नई 50 के खसरा न0 170 में कृषि कार्यो के लिए खसरा न0 168 खातेदार अप्रार्थी सं. 16 एवं खसरा न0 169 के खातेदार रामकरण के खाते के खेत के मध्य मेड पर होकर कृषि कार्यो के लिए आते जाते रहे है, प्रार्थी कभी भी ख.न. 167 की मेड से आवागमन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क खारिज किये जाने योग्य है।

❖ प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ जिसके अनुसार प्रार्थी की आराजी तक कोई सरकारी रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है और कोई प्रचलित रास्ता भी वर्तमान में नहीं है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि प्रार्थी पूर्व में ख.न. 167 की उत्तरी तरफ तथा 171 के उत्तरी पूर्वी कोने में से निकलते थे। प्रार्थी द्वारा ख.न. 167 व 171 में से रास्ता चाहा गया है जो कि प्रार्थी के खेत तक जाने हेतु पर्याप्त है। ख.न. 167 की उत्तरी तरफ लम्बाई 44

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (जिला कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

मीटर, चौडाई 4 मीटर कुल 176 वर्ग मीटर (0.0176 है.) तथा ख.न. 171 में लम्बाई 20 मीटर, चौडाई 4 मीटर कुल 80 वर्ग मीटर (0.008 है.) भूमि रास्ते के लिए उपयुक्त है। ख. न. 167 की डी.एल.सी. दर 1260000/– रूपये प्रति हैक्टर एवं ख.न. 171 की डी.एल.सी. दर 1230000/– रूपये प्रति हैक्टर है।

❖ इसके उपरान्त पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी 5 ता 8 द्वारा जवाब प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

❖ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए, सिंचाई या पहुंच के लिए किसी अन्य खातेदार की जमीन के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या रास्ते बनाने/चौड़ा करने से संबंधित है। यदि किसी काश्तकार को पहुंच के लिए किसी अन्य खातेदार की भूमि से होकर नया या चौड़ा रास्ता बनाने की आवश्यकता है और वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वे उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जांच के बाद न्यायालय आवेदक को पाइप लाइन बिछाने या रास्ता बनाने/चौड़ा करने की अनुमति दे सकता है, साथ ही अन्य खातेदार को मुआवजा भी दे सकता है। यह धारा उस स्थिति में समाधान उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है जब पक्षकार स्वयं सहमत नहीं हो पाते।

❖ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के तहत अनुतोष प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से दो मुख्य बिन्दूओं को सिद्ध करना आवश्यक है –

1. पहुंच की आवश्यकता एक परम आवश्यकता होनी चाहिए, न कि केवल सुविधा के लिए।
2. नए रास्ते के लिए, पहुंच के वैकल्पिक साधनों की अनुपस्थिति को सिद्ध करना होगा।

❖ हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु न तो रेकार्डेड मार्ग मौजूद है और ना ही वैकल्पिक मार्ग, जिससे नए रास्ते/पहुंच के वैकल्पिक साधनों की अनुपस्थिति सिद्ध होती है।

❖ प्रार्थी स्वयं की आराजी पर कृषि कार्य करने हेतु ना तो स्वयं आवागमन कर सकता है और ना ही अपने कृषि यंत्र लेकर जा सकता हैं। रास्ते के अभाव में कृषि कार्य में बाधा

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

होगी तथा प्रार्थी को अपरिमित क्षति होने की संभावना है। अतः रास्ते की परम आवश्यकता प्रतीत होती है।

- उक्त समस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अप्रार्थीगण की आराजी ख.न. 167 एवं ख.न. 171 के मध्य की मेड से आवागमन करते रहे है। प्रार्थीगण के पास स्वयं की आराजी तक पहूंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्तानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के अनुसार नियत निर्धारित शर्तो बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजों, जवाब सरकार आदि के माध्यम से धारा 251 ए के तहत नए रास्ते हेतु आवश्यक आवश्यक शर्तों की पूर्ति की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जारी किये जाते हैं कि –

माल ग्राम तेहरोली तहसील सांगोद में स्थित अप्रार्थीगण की आराजी ख. न. 167 की उत्तरी मेड पर 44 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा कुल 176 वर्ग मीटर (0. 0176 हैक्टर भूमि) तथा ख.न. 171 की पश्चिमी मेड पर 20 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा कुल 80 वर्ग मीटर (0.008 हैक्टर भूमि) रास्ता प्रार्थीगण की आराजी ख.न. 170 तक दर्ज किया जावे। उक्त रास्ते की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थी रास्ते हेतु देय भूमि 0.00176 है के मूल्य 22176/– का दोगुना 44352/– रूपये ख.न. 167 के खातेदारान को एवं 0.008 है. के मूल्य 9840/– का दोगुना 19680/– रूपये ख.न. 171 के खातेदारान को भुगतान करें। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को भुगतान करने के उपरान्त ही आदेश की पालना की जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक राजस्व/24/888 दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय का भाग मान कर पढा जावे। रास्ते हेतु दर्ज भूमि पर रहन भार होने की स्थिति में

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मुक्त होने के उपरान्त ही आदेश की पालना की जावे।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 25/7/25 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner